सन् 1857 की क्रांति एवं बुंदेलखण्ड एक परिदृश्य

शोध पत्र-इतिहास

* स्नेहलता शेण्डे

बुंदेलखण्ड सदैव से शौर्य तथा पराक्रम की गाथाओं का देश रहा है। क्षेत्र के भूपतियों तथा जागीरदारों राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, असंतोष के परिणामस्वरूप सन् 1942 ई. में हुए बुंदेला विद्रोह तथा बुंदेलखण्ड रजवाडों तथा जन साधारण के अंसतोष से उपजी सन् 1857 ई. की क्रांति की बुंदेलखण्ड पर हुए पूर्वोत्तर तथा उत्तरोत्तर प्रभाव का उल्लेख प्रस्तुत किया गया हैं। सन् 1957 ई. की क्रांति ने देश में स्वतंत्रत की भावना प्रत्येक नागरिक में प्रस्फुटित कर दी थी जिसके फलस्वरूप देश में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन् 1885 ई. में हुई। बुंदेलखण्ड में सन् 1857 ई. की गतिविधियों तथा उत्तरोत्तर प्रगति, जो इतिहास में ''तिलक युग'' कहलाती है, इस युग में बुंदेलखण्ड के अनेक क्षेत्रों में स्वतंत्रता विषयक भावना, प्रखर रूप में जन–साधारण के मध्य स्थापित हो चुकी थी।

ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के फलस्वरूप चारों ओर असंतोष तथा निराशा का जन्म हो चुका था। बुंदेलखण्ड में जालौन तथा झाँसी की रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था। यह लार्ड डलहौजी की ''अपहरण नीति'' ने अंतोष में और अधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई। बाँदा के नवाब अली बहादुर के साथ भी अंग्रेजी ने इसी साम्राज्यवादी नीति का परिचय कराया था। फलतः बुंदेलखण्ड के राजा–महाराजे अंग्रेजी शासन से अतुंष्ट हो गए थे।

ब्रिटिश शासन के अधीन राजस्व का जो निर्धारण किया गया वह तर्कसंगत न होकर राजस्व की कठोर नीति पर आधारित था[1]. राजस्व की इस कठोर नीति ने किसानों की स्थिति दयनीय बनाने में काफी सहायक सिद्ध हुई। अंग्रेजी शासनकाल में ईसाई मिशनरियों का बुंदेलखण्ड में प्रवेश से यहाँ के लोगों में विदेशी धर्म के प्रति प्रतिक्रिया पैदा हुई। प्रायः सोचा जाता था कि इन मिशनरियों की नियुक्ति सरकार द्वारा होती थी तथा उनके कार्य मे पुलिस मदद किया करती थी[2]. इस क्षेत्र की धर्मभीरू जनता ईसाई मिशनरियों के भारत आगमन तथा उनके क्रियाकलापों से चिंतित थी और उनकी यह धारणा बन रही थी कि किसी भी समय बुंदेलखण्ड ईसाई मिशनरियों के कार्य क्षेत्र में आ जायेगा। इसके अतिरिक्त अंग्रेज सरकार ने सन् 1856 ई. में विधवा पुनर्विवाह कानून (विडो रिमेरिज एक्ट) पास किया[3]. जिसमें विधवाओं को पुनः विवाह करने की छूट दे दी गई।

हिंदुओं ने उसे अपने धार्मिक विधवाओं को पुनः विवाह करने की छूट दे दी गई। हिंदुओं ने उसे अपने धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप समझा। सन् 1820 ई. जातीय अयोग्यता उन्मूलन कानून पास हुआ जिसमें यह नियम बनाया गया कि कोई व्यक्ति दूसरी जाति अथवा धर्म स्वीकार कर लेता है तो उसे पूर्वजों की संपत्ति से वंचित नहीं किया जावेगा। इसके पूर्व 1802 ई. में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था[4]. सन् 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। परंतु यह एक अच्छा कार्य था किंतु रूढ़िवादी हिंदुओं ने इसे भी धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप समझा था। इन सभी तथ्यों ने असंतोष की आग में घी डालने का काम किया था। बुंदेलखण्ड में लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मी बाई को गोद लेने के अधिकार से वंचित रखकर झाँसी के राजा झाँसी की रियासत अंग्रेजी राज्य में मिला दी गई[5]. इसके अतिरिक्त झाँसी के राजा ने महालक्ष्मी मंदिर के लिए जो गाँव दिए थे उसे भी अंग्रेजी ने अपने अधीन कर लिया6. अपने पति की मृत्यु के तत्कालीन परंपरा के अनुसार अपना मुंडन कराने के लिए लक्ष्मीबाई ने बनारस जाने के लिए अनुमति चाही।.

इन घटनाओं ने असंतोष रूपी झरने को भरने का कार्य किया था। बानपुर के राजा मर्दन सिंह को भी राज्य के 1/3 हिस्से से वंचित रखा गया। मर्दन सिंह ने जवाहर सिंह को अंग्रेजी शासन के प्रति विद्रोह करने के लिए भड़काया.[8] शाहगढ़ के राजा बखवली के साथ भी यही व्यवहार हुआ.[9] बाँदा के नवाब अली बहादुर के भी अधिकारों को छीनकर सरकार ने पेंशन ही देने का निश्चय किया। जालौन की ताई बाई को भी ब्रिटिश अधिकारियों ने हेय से देखा[10]. इन कारणों से बुंदेलखण्ड में विद्रोह का प्रारंभ हुआ। बुंदेलखण्ड में सबसे पहले झाँसी से विद्रोह का सूत्रपात हुआ।

12वीं रेजीमेंट का मुख्यालय झाँसी में ही स्थित था जिसका कैप्टन डनलप था.[11] इसमें यूरोपीय सैनिकों की संख्या 522 थी, जबकि युरोपीय सैनिक केवल 6 ही थे। कुल मिलाकर 81 देशी सैनिकों में केवल 11 हीं यूरोपीय सैनिक थे। 30 मई सन् 1957 ई. को झाँसी में क्रांतिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें पैदल सेना के सिपाही भी शामिल थे। 1 जून सन् 1857 ई. को कैप्टन जार्डन ने कैप्टन स्कीने को सूचित किया कि करेरा के पवार ठाकुर 2 जून को विद्रोह कर करेरा पर अधिकार करना चाहते है। एक या दो जून को झाँसी छावनी में स्थित दो बंगलों को आग लगा दी गई[12]. झाँसी, नौगाँव तथा चंदेरी में क्रांतिकारियों का विशेष प्रभाव रहा।

अपनी जागीरे छीन लिए जाने के कारण बुंदेला ठाकुरों ने चारों ओर विद्रोह कर दिया[13]. तालबेहट चंदेरी एवं ललितपुर के चारों ओर बुंदेला ठाकुरों ने अंग्रेजी शासन के विरूद्ध झण्डे उठा लिए थे। मर्दन सिंह ने बानपुर में क्रांति का नेतृत्व किया। जालौन, हमीरपुर आदि सभी जिलों में यही स्थिति हुई थी। बुंदेला राजा मर्दनसिंह की उद्दीप्त निर्भीकता और अंग्रेज सरकार के प्रति उनकी विद्रोह भावना का आभास सन् 1857 ई. विद्रोह का आँखों देखा वर्णन करने वाले विष्णुभट्ट

*शोध छात्रा, इतिहास विभाग, शासकीय कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश

गोडसे का ग्रंथ 'माझा प्रवास' में वर्णित एक प्रसंग से भी मिलता है। सन् 1857 ई. के मार्च में अंग्रेज सरकार ने कलकत्ता में देशी राजाओं की एक सभी बुलाई थी। मर्दन सिंह ने निर्भयता पूर्वक अंग्रेजों की दमन नीति के विरूद्ध बड़ी बुलंदी से अपने विचार व्यक्त करते थे। राज–सत्ता से विरोध करने का स्पष्ट संकेत भी उन्होंने दे दिया था। महारानी लक्ष्मीबाई और राजा मर्दन सिंह दोनों ने मिलकर सैनिक संगठन का कार्य प्रांरभ किया। जन–जन राष्ट्रप्रेम की आग फूँटी जाने लगी। विद्रोह की योजना तैयार होने लगी। इन कार्यों में नाना साहब, तात्याटोपे शाहगढ़ के बखतवली भी प्रमुख सहयोगी बने। झाँसी के सुपरिटेंडेंट पिनकने ने सेक्रेटरी उत्तर–पश्चिम को 11 मार्च सन् 1858 ई. को सूचित किया कि हीरोज के नेतृत्व में हमारी सेना ने शाहगढ़ के राजा तथा वहाँ के विद्रोहियों को 3 मार्च, सन् 1858 ई. को मदनपुर में पराजित कर दिया है[14].

झाँसी की स्थिति का उल्लेख करते हुए इसी पत्र में पिनकने ने लिखा कि "झाँसी में क्रांतिकारियों की कुल संख्या लगभग 10,000 है। कुछ ही दिन पूर्व इन लोगों ने हमारा साथ देने वाली टहरी की रानी पर आक्रमण किया हैं[15].

14 मार्च सन् 1858 ई. को पिनकने ने अपने शासन के सचिव को पुनः सूचित किया की झाँसी तथा मऊरानीपुर के क्रांतिकारियों ने बरूआसागर किले पर अधिकार कर लिया है तथा ओरछा के किले पर आक्रमण करने से भागकर झाँसी में आ चुका हैं[16].

22 मार्च सन् 1858 ई. को पिनकने ने पुनः सूचित किया कि हीरोज के नेतृत्व में सेना 21 मार्च को पहुँच चुकी है, लेकिन तब तक रानी लक्ष्मीबाई ने झाँसी की रक्षा के लिए किले की दीवारें ऊँची कर दी हैं तथा कल ही किले की दीवारों से लक्ष्मीबाई की तोपों ने हमारी सेना पर गोला–बारूद प्रारंभ कर दी है। रानी इस समय किले में ही रह रही है। यह कहा जाता है कि उनके पास 20 से 30 के बीच तोपें हैं जो किले पर चारों किनारों पर लगा दी है।

झाँसी के क्रांतिकारियों के विद्रोह सैनिकों की संख्या लगभग 300 या 400 है। 100 तथा 150 के बीच घुड़सवार विद्रोही सैनिक हैं। 400 विलायती तथा 5000 या 6000 बुंदेला और मेवाती इसमें शामिल हैं; लेकिन इस संख्या पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि चारों ओर से शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं[17].

29 मार्च को पिनकने ने यह सूचित किया कि झाँसी के क्रांतिकारियों ने हमारी मदद कर रही दतिया की सेना को परास्त कर दिया है[18].

झाँसी के अतिरिक्त हमीरपुर, जालौन, ललितपुर आदि क्षेत्रों में भी यही स्थिति चली आ रही थी। 20 नवंबर सन 1858 ई. को हमीरपुर की स्थिति का उल्लेख करते हुए पिनकने ने लिखा कि इस जिले में अब भी क्रांतिकारियों के हुए गुट अधिक सक्रिय है जब इस जिले के राठ और जैतपुर के क्षेत्र में स्थाई सेना पुलिस की मदद के लिए स्थाई नियुक्त कर दी जाती, तब तक इस जिले के क्रांतिकारियों का खात्मा नहीं किया जा सकता है। हमीरपुर के क्रांतिकारियों में गुलाब सिंह तथा ईश्वरी बाजपेई का नाम विशेष उल्लेखनीय है जिन्हें 5 दिसंबर सन् 1858 ई. को इमलिया (अलीपुर जागीर) नामक स्थान पर कैप्टन फ्रीलिंग ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की।

विद्रोह संबंधी गतिविधियाँ इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर चलती रही किंतु ब्रिटिश साम्राज्य की महान् शक्ति तथा देशी रियासतों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन करने की नीति के कारण आंदोलन कमजोर पड़ता गया तथा अंततः दबा दिया गया।

सन् 1919 ई. का वर्ष भारतीय इतिहास में गाँधीयुग के पदापर्ण का वर्ष कहलाता है। गांधीजी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन ने संपर्ण बुंदेलखण्ड का उल्लेखनीय सहयोग रहा है। क्षेत्र में जगह–जगह स्वदेशी विचारधारा प्रवाहित होने लगी थी। देशी राज्यों रियासतों में भी, स्ववंत्रता की भावना जोर पकड़ने लगी थी। क्रांतिकारी दल भी, बल प्रयोग से स्वाधीनता प्राप्ति हेतु प्रयासरत् थे। सन् 1930–31 ई. में कांग्रेस द्वारा घोषित सविनय अवज्ञा आंदोलन का संपूर्ण बुंदेलखण्ड पर, उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा।

गाधीयुग का बुंदेलखण्ड पर प्रभाव सन् 1919 से 1939 ई. तक का समय काल समाहित है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद बुंदेलखण्ड ब्रिटिश भारत के अलावा देशी राज्यों रियासतों में, पूर्व उत्तरदायी शासन व्यवस्था की भावना प्रबल होने लगी थी। 15 अगस्त सन् 1947 ई. को देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति के पश्चात् विभिन्न संगठनों जैसे प्रजा मण्डल मध्यभारत देशी राज्य, लोक परिषद् से व संघ आदि विभिन्न राज्यों में, पूर्ण स्वाधीनता की मांग से संबंधित आंदोलन संचालित कर रहे थे। अंततः इन सभी के प्रयास स्वरूप, बुंदेलखण्ड के देशी राज्यों रियासतों का स्वतंत्र भारत के मध्य प्रांत तथा उत्तरप्रदेश में विलीनीकरण किया गया।

सन्दर्भ ग्रन्थ

(1) सिन्हा एस.एम. – दि रिबोल्ट ऑफ 1857 इन बुदेखण्ड, लखनऊ सन् 1982 पृ. 39 (2) सिन्हा एस.एम. – दि रिबोल्ट ऑफ 1857 इन बुंदेलखण्ड, लखनऊ सन् 1982 पृ. 39 (3) लाइफ ली बारनर दि मारक्यूम डलहौजी वोल्यूम–2, पृ. 364 (4) रेग्यूलेशन्स ऑफ दि बंगाल कोड; पृ. 1145 (5) सिन्हा एस.एन. – दि रिवोल्ट ऑफ 1857 ई. इन बुंदेलखण्ड पृ. 319 (6) झॉसी डिवीजन प्रिमुटिनी रिकार्ड – वाल्यूक 47ण डिपार्टमेंट – ।।।, फाइल नं. 319 (7) गोडसे वी, मॉझा प्रवास, हिंदी अनुवाद, वाई.ए.एल. नागर , शीर्षक – ऑखों देखा गदर, पृ. 79 (8) एन.ई. झॉसी डिवीजन पृ. 3 (9) सिंन्हा एन.एन. रिवोल्ट ऑफ 1857 ई. इन बुंदेलखण्ड पृ. 49 (10) सिन्हा एन.एन. रिवोल्ट ऑफ 1857 ई. इन बुंदेलखण्ड पृ. 49 (11) काये वोल्यूम – ।।। पृ. 362 (12) एन.ई. झॉसी डिवीजन, पृ. 4 (13) फॉरेन सीक्रेट कंसप्जेशन, 18 दिसंबर 1857, ई. पृ. 237 (14) लेटन नं. 19 1858 ई. डेटेड कैंप बानपुर, 11 मार्च, 1858 ई. (15) लेटर नं 19 1858 ई. डेटेड कैंप बानपुर, 11 मार्च 1858 ई. (16) लेटर नं. 22 ऑफ 1858 ई. डेटेड कैंप ताल बेहर, दिनांक 14 मार्च 1585 ईं. (17) लेटर नं. 48 ऑफ 1858 ईं. डेटेड कैंप ताल बेहर, दिनांक 22 मार्च 1858 ईं. (18) लेटर नं. 69 ऑफ 1858 ईं. डेटेड कैंप ताल बेहर, दिनांक 29 मार्च 1858 ईं.